प्रेस नोट

14.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि अंचल कार्यालय ने 11/06/2024 को केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हाईरिच ऑनलाइन समूह के प्रमोटरों और प्रमुखों के परिसर में तलाशी अभियान चलाया | इन तलाशियों के परिणामस्वरूप कंपनी के विभिन्न बैंक खातों, प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग 32 करोड़ रुपये की आय पर रोक लगी, लगभग 70 लाख नकद, आभूषण और 4 चार पहिया वाहनों की जब्ती की गई । तलाशी के दौरान ने प्रमोटरों और हाईरिच ऑनलाइन समूह के विभिन्न प्रमुखों के साथ 15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों का पता लगा, जिन्हें अपराध की आय से हासिल किया गया है। इन तलाशियों से यह भी पता चला है कि कंपनी और उसके प्रमोटर और प्रमुख कुछ एक्सचेंजों पर क्रिप्टो मुद्रा में व्यापार में शामिल थे और एचआर क्रिप्टो कॉइन्स के नाम से अपना खुद का तथाकथित क्रिप्टो सिक्का बेचते थे| एचआर क्रिप्टो सिक्का भारतीय रुपये और यू एस डॉलर के बदले में बेचा गया था। एचआर क्रिप्टो कॉइन्स भी पोंजी योजना का एक हिस्सा था, जहां लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए यह प्रलोभन दिया गया था कि इसके लिए उन्हें 15% ब्याज प्रति वर्ष मिलेगा और जब कोई ग्राहक एक नया ग्राहक को शामिल करेगा, तो उन्हें 30% प्रत्यक्ष रेफरल आय मिलेगी।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के प्रावधानों के तहत केरल पुलिस द्वारा पंजीकृत प्राथमिकी और हाईरिच समूहों और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी जांच से पता चला कि कंपनी डिजिटल आईडी के रूप में सदस्यता बेच रही थी, जिसमें व्यक्तिगत निवेशकों के उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) शामिल हैं, जो सदस्यता शुल्क एकत्र करके अपनी वेबसाइट www.higrich.net पर उपलब्ध डिजिटल स्पेस तक पहुंचने के लिए है। सदस्य आगे कमीशन अर्जित करने के लिए अन्य लोगों को सदस्यता/डिजिटल आईडी भी बेचेंगे। कंपनी इन व्यक्तियों को प्रोत्साहन देगी जब वे नए सदस्यों को विपणन योजना में शामिल होने के लिए नामित करेंगे जो कि नए सदस्यों के शामिल होने पर प्राप्त कमीशन को साझा करने के अलावा कुछ नहीं है। माल की बिक्री का कोई वास्तविक अंतर्निहित व्यवसाय नहीं है। यह एक पोंजी योजना का सामान्य कार्यशैली है। इस पोंजी प्रकार की एमएलएम योजना में बड़े पैमाने पर लोगों से एकत्र की गई कुल राशि लगभग 1500 करोड़ रुपये है। एकत्र किए गए धन को आंशिक रूप से पिरामिड के शीर्ष पर योजना के सदस्यों को पुरस्कार के रूप में पुनर्वितरित किया गया और प्रमोटरों- केडी प्रथापन, श्रीमती श्रीना प्रथापन द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपये अपने परिवार के सदस्यों और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हेराफेरी की गई |

इससे पहले 23/24.01.2024 को, ईडी द्वारा मेसर्स हायरिच स्मार्टेक प्रा. लि., हायरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर और संबद्ध कंपनियों के परिसर में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान अपराध से अर्जित 212 करोड़ रुपये की आय का पता लगाया गया और पीएमएलए, 2002 के तहत फ्रीज कर दिया गया। इस मामले में अब तक पकड़े गए/जब्त किए गए अपराध की कुल आय 260 करोड़ रुपये है, जिसमें तलाशी के दौरान पता लगाए गए अभियुक्त के अचल संपत्ति दस्तावेज भी शामिल हैं।

आगे की जांच चल रही है।